न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) कुरूद, जिला–धमतरी(छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/ /अविअ/वा.–1/2025 कुरूद, दिनांक /03/2025

इस न्यायालय के रा.प्र.क्र. 202411131000021/अ–62/2024–25 में पारित आदेश दिनांक 10/03/2025 के अनुसार वन विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त स्थल जांच सह पंचनामा दिनांक 02/11/2022 में आवेदिका बुधयारिन बाई पति भागवत राम साहू, जाति तेली, ग्राम रेंगाडीह, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी द्वारा काश्तग्राम रेंगाडीह, तहसील मगरलोड स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 207 रकबा 0.07 हे. में स्थित 04 नग सागौन वृक्ष एवं खसरा नंबर 177 रकबा 0.18 हे. में स्थित 09 नग सागौन वृक्ष इस प्रकार कुल 13 नग सागौन वृक्ष में से कुल 10 नग सागौन वृक्ष को छ.ग.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 के तहत कांटने की अनुमति प्रदान की जाती है, जो निम्न शर्तो के अध्याधीन होगा :–

1–वृक्ष की कटाई वन मण्डलाधिकारी द्वारा नामजद अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष कटाई जायेगी तथा आसपास की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखा जावेगा।

2–वन मण्डलाधिकारी धमतरी द्वारा काटे जाने वाले वृक्षों को जो शासन के स्वामित्व की है, के कलेवरों की नीलामी कराकर प्राप्त प्रतिफल की राशि का नियमानुसार शासकीय मद में जमा कराना सुनिश्चित करें।

3–कांटे गये प्रत्येक एक–एक वृक्षों के बदले 10–10 कुल (कम से कम 4 फीट की उंचाई वाले) जिस स्थान से वृक्ष कांटी जावेगी के नजदीक उपयुक्त स्थान पर वृक्ष लगाया जावेगा, यदि नजदीक में उपयुक्त स्थान नहीं मिलने पर वन विभाग द्वारा बतलाये गये स्थान पर लगाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।

4– अनुमति दिनांक से वन विभाग अपने सुपुर्द में लेकर तत्काल आगामी आवश्यक कार्यवाही करेंगे, ताकि अनुमति पश्चात् वृक्षों का अवैध विदोहन न हो सके।

5–यदि 10 नग वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्षों की अवैध कटाई की जाती है तो उनके विरूद्ध इस कार्यालय को सूचित करेंगे, ताकि उनके ऊपर अर्थदण्ड अधिरोपित की जा सके।

(यह अनुमति प्रचलित परिपत्र एवं शासन के वर्तमान निर्देश के परिपालन में दी जाती है।)

अनुविभागीय अधिकारी(रा)
कुरूद, जिला–धमतरी

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कुरुद, जिला धमतरी (छ.ग.)

पृ०/क्रमांक/ /अविअ/वा.–1/2025 कुरूद, दिनांक /03/2025

प्रतिलिपि:–

1. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल धमतरी को आदेश तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित्।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
3. सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, मगरलोड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार मगरलोड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
5. आवेदिका बुधयारिन बाई पति भागवत राम साहू, जाति तेली, ग्राम रेंगाडीह, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी(रा)
कुरूद, जिला–धमतरी

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कुरुद, जिला धमतरी (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner